न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 52 / 2016

अपीलांट

श्रीमति कमला देवी पुत्री अनाराम, पत्नि बाबुलाल, जाति माली,निासी एफसीआई गोदाम रोड, जालोर हाल आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1.चुन्नीलाल के कायम मुकामः—

1 / 1—श्रीमति झमूदेवी बेवा चुन्नीलाल जाति माली,निवासी हेडपोस्ट ऑफिस रोड,किसान छात्रावास के पास, भेरू किराना स्टोर, जालोर

1 / 2.कांतीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति माली,निवासी हनुमानजी वाली गली, राजेन्द्र नगर, जालोर

1 / 3.पुखराज पुत्र चुन्नीलाल जाति माली, निवासी हेड पोस्ट ऑफिस रोड, किसाना छात्रावास के पास,भैरू किराना स्टोर जालोर

1 / 4,श्रीमति जोईती पुत्री चुन्नीलाल, पत्नि जालाराम जाति माली,निवासी हनुमान नगर कॉलोनी जालोर

1 / 5.श्रीमति मंजू पुत्री चुन्नीलाल पत्नि सुरेशकुमार, जाति माली, निवासी हनुमान शाला स्कूल के सामने आहोर,तहसील आहोर, जिला जालोर

1 / 6.श्रीमति पोनी देवी पुत्री चुन्नीलाल, पत्नि मंशाराम,जाति माली, निवासी राजेन्द्रनगर प्याउ वाली गली, जालोर, तहसील आहोर, जिला जालोर

2.गणेशाराम के कायम मुकामः—

2 / 1. श्रीमति गटुदेवी बेवा गुणेशाराम जाति माली,निवासी धलडापावटी रोड, जालोर, तहसील व जिला जालोर

2 / 2.जयन्तिलाल पुत्र गुणेशाराम, जाति माली,निवासी धलडापावटी रोड, जागनाथ वाटर सप्लायर्स जालोर

2 / 3.ओम प्रकाश पुत्र गुणेशाराम, जाति माली,निवासी धलडापावटी रोड, जागनाथ वाटर सप्लायर्स जालोर

2 / 4.पारस पुत्र गुणेशाराम,जाति माली, निवासी धलडापावटी रोड, जागनाथ वाटर सप्लायर्स जालोर

2 / 5.श्रीमति चदनोदेवी पुत्री गुणेशाराम,पत्नि सुरेशकुमार,जाति माली,निवासी गोडीजी जैन मंदिर के पीछे जालोर,जिला जालोर
3.पूनमाराम के का.मु.:—
3 / 1. जेठाराम पुत्र पुनमाराम जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास, जालोर, जिला जालोर
3 / 2.श्रीमति झीणी देवी बेवा बंशी पुत्र पूनमाराम, जाति माली,निवासी किसान छात्रावास के पास, जालोर, जिला जालोर
3 / 3.नारायणलाल पुत्र पूनमाराम,जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास, जालोर, जिला जालोर
3 / 4.श्रीमति लीला पुत्री पूनमाराम पत्नि स्व. लेहराराम, जाति माली, निवासी एफसीआई गोदाम के पीछे,बेरे पर जालोर, जिला जालोर
3 / 5.श्रीमति पंकीदेवी पुत्री पूनमाराम पत्नि शांतिलाल जाति माली,निवासी गोगाजी मंदिर के पास, राजेन्द्र नगर, जालोर, जिला जालोर
3 / 6.श्रीमति दाडमी पुत्री पूनमाराम,पत्नि हीराराम,जाति माली निवासी राजकीय विद्यायल के सामने ,गांव रतनपुरा, हाल—नथमलजी जैन का मकान, पारसनाथ जैन मंदिर वाली गली सायल, तहसील सायला
4.चौथाराम पुत्र अनाराम,जाति माली, निवासी किसान छात्रावास के पास, जालोर, तहसील व जिला जालोर
5.मोहनलाल पुत्र अनाराम,धलडापावटी रोड, जागनाथ वोटर सप्लायर्स के पास, जालोर, जिला जालोर
6.श्रीमति मथरादेवी पुत्री अनाराम पत्नि तिलोकाराम,जाति माली,निवासी धलडापावटी रोड,जागनाथ वाटर सप्लायर्स के पास, जालोर
7.श्रीमति शांतिदेवी पुत्री अनाराम,पत्नि सांवलाराम,जाति माली, निवासी एफसीआई गोदाम के सामने,तहसील व जिला जालोर
8.पुखराज पुत्र शंकरलाल जाति माली, निवासी राजेन्द्रनगर जालोर आम मुख्त्यार झम
मुदेवी पत्नि शंकरलाल जाति माली निवासी राजेन्द्र नगर जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 26.5.1995
(ना.क.सं.21)

1.श्री केशव व्यास, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री सुरेश सोलंकी, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1/2की ओर से।
3.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 1/3 व 8 की ओर से।
4.दीगर रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 17.3.2020

1. अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि मौजा जालोर 'ए' में अपीलांर्थी व रेस्पोडेन्ट्स की शामलाती पुश्तैनी आराजी हाल खसरा नम्बर 655 रकबा 4.51 हेक्टर,657 रकबा 4.13 हेक्टर,1279 रकबा 1.55 हेक्टर, 1294 रकबा 1.95हेक्टर,1295 रकबा 2.02 हेक्टर,1296 रकबा 2.15 हेक्टर, 1240 रकबा 1.75 हेक्टर,1277/6266 रकबा 0.10 हेक्टर कुल रकबा 18.16 हेक्टर की आई हुई है, अपीलार्थीया के पिता अनाराम पुत्र सवाजी के 13.1.1994 के फौत होने के पश्चात् उनके हिस्से की खातेदारी आराजी में उक्त तमाम खसरे आते थे जिसमें अनारामजी का 1/2 हिस्सा यानि 9..08 हेक्टर आराजी आती थी, जिसमें अपीलार्थीया तथा अपीलार्थीया के पांचो भाईयों चुन्नीलाल , पूनमाराम ,गुणेशाराम तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4–चौथाराम व रेस्पोडेन्ट सं.5–मोहनलाल का बराबर बराबर हिस्सा अर्थात 1/8 हिस्सा–1/8 हिस्सा आना चाहिये, क्योंकि अपीलार्थीया के पिता के फौत होने से पूर्व अपीलार्थीया की माता फौत हो चुकी थी किन्तु अपीलार्थीया के पांचो भाईयों ने मिलकर म्युटेशन में अपीलार्थीया का तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 का नाम दर्ज नही करवाया तथा अनारामजी के फौत होने के बाद तहसीलदार जालोर द्वारा फौतगी का म्युटेशन सं. 21 दिनांक 26.5.1995 पटवारी आदि से मिलावट कर स्वयं के नाम भरवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 पुश्तैनी आराजी को बैचान करने पर आमादा थे व अपीलार्थी का हक व हिस्सा देने से इन्कार करने पर अपीलार्थी स्वयं अपने पति के साथ अपनी पुश्तैनी आरजी के खसरा नम्बर पता कर म्युटेशन की नकल मांगी जो अपीलार्थीया को दिनांक 2.9. 2016को मिली जिसमें अपीलार्थीया का कही भी नामोनिशान तक नहीं था। पुश्तैनी आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम , हिन्दू होने के नाते स्व. अनाराम पुत्र सवाजी के समस्त वारिसान् पर लागू होता है, रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने अपीलार्थीया से यहा तक कहा कि हमने तो वर्तमान खसरा नम्बर 1269,1294, 1295, 1296,1340,1277/6266 का बैचान कर भी दिया है तथा शेष आराजी को बैचने की तैयारी कर ली है। अपीलार्थीया द्वारा तहसील कार्यालय जालोर में म्युटेशन का पता लगाकर नकले मांगी, नकले दिनांक 2.9.16को मिली, जिसमें बताया गया था कि अपीलार्थीया के पिता का फौतगी म्युटेशन सं. 21दिनांक 26.5.1995 को भरा गया

तथा दिनांक 2.9.16को यह बात अपीलार्थीया को ज्ञात होने पर उस दिन से वाद कारण उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद है।अतः अपीलार्थीया के पिता की फौतगी के पश्चात् तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत जालोर ए का म्युटेशन सं. 21 दिनांक 26.5.1995 को निरस्त कर कुल रकबे में से के आधे हिस्से अर्थात् 9.08 हेक्अर आराजी अनारामजी के हिस्से में आती थी, का 1/8वा हिस्सा अपीलार्थीया के नाम भरा जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं. 21की प्रति आदि नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी–पुखराज पुत्र शंकरलाल जाति माली ,आम मुख्त्यार झम्मुदेवी पत्नि शंकरलाल, जाति माली, निवासी राजेन्द्रनगर जालोर द्वारा दिनांक 10.10.17को आदेश 1नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. की दरख्वास्त पेश करने पर,बाद सुनवाई के प्रार्थी को रेस्पोडेंन्ट सं.8 के रूप में पक्षकार बनाया गया ।

2. अपीलांट के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट्स ने कोई प्रत्युतर पेश नही किया गया हैं अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई, अपीलांट के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा जालोर– ए में पुश्तैनी आराजी कुल खसरा 8 रकबा 18.16 हेक्टर में से अपीलार्थीया व पांचो भाईयों का बराबर बराबर हिस्सा यानि 1/8–1/8 हिस्सा आना चाहिये था , अपीलार्थीया के पिता के फौत के पूर्व अपीलार्थीया की माता फौत हो चुकी थी, म्युटेशन सं. 21 में अपीलार्थीया के पांचो भाईयों ने मिलकर अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट सं. 6व 7 का नाम दर्ज नही करवाया । अतः अनारामजी के आधे हिस्से अर्थात् 9.08हेक्टर में से 1/8 वा हिस्से का म्युटेशन अपीलार्थीया के नाम भरने हेतु प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1/2 के वकील ने बताया कि तहसीलदार जालोर द्वारा म्युटेशन सही पारित किया गया है, अतःअपीलांट की अपील खारिज करावे। रेस्पोडेन्ट सं.8 के अभिभाषक ने बताया कि खसरा नम्बर 657 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की कोई खातेदारी नहीं है,उक्त खसरा नम्बर बंटवाडा होकर जुहाराराम पुत्र हिमताजी माली निवासी जालोर के हक में अलग होकर जमाबंदी में अकेले जुहाराराम के नाम इन्द्राज हो चुका है, परन्तु अपीलांट ने गलत तौर से खसरा नम्बर 657 को संयुक्त खातेदारी होना दर्शा कर अपील पेश की है, खसरा नम्बर 657 के नये खसरा नम्बर 6641/657 बनकर उक्त भूमि झमूदेवी पत्नि शंकरलाल माली के नाम रकबा 1.38

हेक्टर का जरिये रजिस्ट्री से खरीद कर आबादी में नगरपरिषद् द्वारा संपरिवर्तित किया जा चुका है,अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धरा 8 के तहत् अनुसूची के अनुसार पुत्रियां प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा पिता की मृत्यु के पश्चात् पैतृक सम्पति में उन्हें उतराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व ग्राम जालोर–ए का नामान्तरकरण सं. 21में अनाराम पुत्र सवा कौम माली निवासी जालोर के फौत होने पर उनके पुत्रों चुन्नीलाल, पुनमाराम,गुणेशाराम ,चौथाराम ,मोहनलाल पुत्र अनाजी के नाम ही स्वीकार किया जाकर पुत्रियों को छोड दिया गया है।

इस प्रकार के नामान्तरकरण प्रकरणों में लिमिटेशन के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा इसे कभी भी चुनौति दी जा सकती है।

इस प्रकरण में जुहारा पुत्र हीमता की भूमि खसरा नम्बर 6625 / 655 तथा खसरा नम्बर 657 कुल रकबा 4.32 हेक्टर का जरिये बंटवाडा अलग होकर खसरा नम्बर 6641 / 657 आगे बैचान किया गया तथा नगरपालिका जालोर से आवासीय पट्टा भी राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)नियम 2012 के नियम 22 के तहत् जारी किया गया।

आदेश

चूंकि नामान्तरकरण सं. 21 में खसरा नम्बर 655 ,657,1279, 1294, 1295, 1296, 1340,1277 / 6266रकबा 18.16 हेक्टर में अनाराम पुत्र सवा का 1 / 2 हिस्सा था तथा उक्त आराजी के 1 / 2 हिस्से में पुत्रियों का भी हक था अतः उक्त नामान्तरकरण सं.21 जालोर–ए को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि वे अनाराम पुत्र सवा की आराजी 1 / 2 हिस्सा जो वर्तमान में उसके पुत्रों के नाम है, को बाद उभयपक्ष सुनवाई के पुत्रियों के नाम भी नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। जुहारा पुत्र हीमता का 1 / 2 हिस्सा के अनुसार किया गया विक्रय तथा संपरिवर्तन प्रभावित नही होगा। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 17.3.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर